

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- संस्था/चि0अ0/एटी/प035/10/998

दिनांक:- 27/07/10


-: आदेश :-

निदेशालय के आदेश क्रमांक 27 दिनांक 30/06/10 के द्वारा विभाग में Urgent Temporary Basis (आवश्यक अस्थाई आधार पर) चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्ति प्रदान कर उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर नियुक्ति/पदस्थापित करते हुए दिनांक 15/07/10 तक कार्यग्रहण करने का समय दिया गया था। निम्नलिखित चिकित्सकों को नियुक्ति की तिथि से उनके नाम के सामने अंकित दिनांक तक एतद द्वारा कार्यग्रहण करने हेतु अभिवृद्धि प्रदान की जाती है:-

क्रम सं०	नाम	पदस्थापन स्थान	कारण	कार्यग्रहण अवधि में स्वीकृत अभिवृद्धि
1)	डा० विष्णु शर्मा	वाई०एन० अस्पताल किशनगढ़ अजमेर	घरेलु परिस्थितियों के कारण	30/07/10
2)	डा० समय सिंह मीना	प्रा०रवा०केन्द्र रागनगर (अलवर)	स्वयं की दुर्घटना के कारण	30/07/10
3)	डा० वर्षा सोनी	सागा० चिकित्सालय बांरा	माता जी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण	30/07/10
4)	डा० रामबाबु	प्रा०रवा०केन्द्र जागडोली (अलवर)	स्वयं की बीमारी के कारण	30/07/10
5)	डा० हरि सिंह नेहरा	सागा० चिकित्सालय बून्दी	घरेलु परिस्थितियों के कारण	30/07/10
6)	डा० सुनिल कुमार ऐरन	जनाना अस्पताल अलवर	धर पर आवश्यक कार्य होने के कारण	30/07/10
7)	डा० नवदीप सिंह	सागा० चिकित्सालय बून्दी	असामान्य परिस्थितियों के कारण	30/07/10
8)	डा० सोनिका शर्मा	सागा० चिकित्सालय नागौर	सूचना प्राप्त नहीं होने के कारण	30/07/10


उपरोक्त अभिवृद्धि राज्य सरकार के आईडी क्रमांक 830/एम/एमएच/10 दिनांक 19/07/10 के अनुसरण में जारी की जाती है। नियुक्ति आदेश में अंकित अन्य शर्तें यथावत रहेगी।

निर्धारित अवधि तक कार्यग्रहण नहीं करने पर उनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे।


निदेशक(जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1) निजी सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय राजस्थान जयपुर।
- 2) निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 3) शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (ग्रुप-2), राजस्थान जयपुर।
- 4) संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन संबंधित।
- 5) प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी संबंधित।
- 6) संबंधित चिकित्सक को उनके निवास के पते पर स्पीड पोस्ट द्वारा।
- 7) प्रभारी केन्द्रीय सर्वर रूम मुख्यालय।
- 8) आदेश/निजी पत्रावली।


अति०निदेशक(राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर